प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 09-09-2022

विषय- जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध 02 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-27980/सामा-1(4/7)/22/बिजनौर/2020, दिनांक 31-08-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध निम्नलिखित 02 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 की कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि	कारागार का नाम, जहां स्थानान्तरित किया जाना है
1	2	3	4
1	सुमित पुत्र श्री जयपाल	जिला कारागार, बिजनौर	जिला कारागार, बहराइच
2	साहिल पुत्र श्री अहसान	जिला कारागार, बिजनौर	जिला कारागार, सीतापुर

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2 निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर/बहराइच/सीतापुर।

5- पुलिस अधीक्षक, बिजनौर/बहराइच/सीतापुर।

6- अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच/सीतापुर ।

7- अधीक्षक, जिला कारागार, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, बिजनौर से संबंधित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in